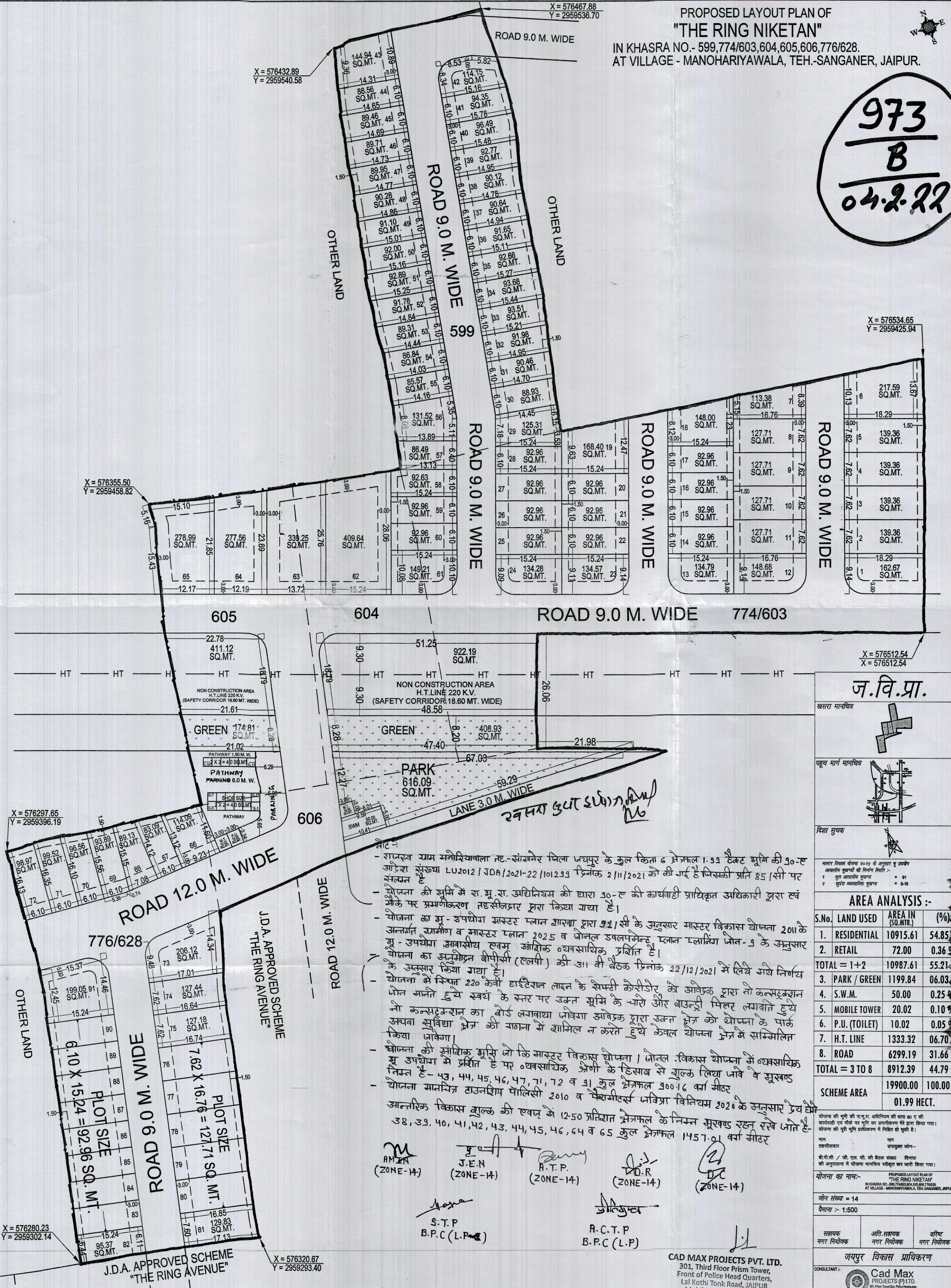


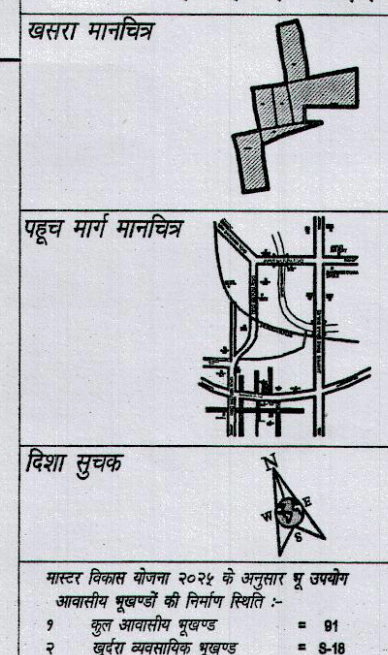
PROPOSED LAYOUT PLAN OF "THE RING NIKETAN"

IN KHASRA NO.- 599,774/603,604,605,606,776/628.
AT VILLAGE - MANOHARIYAWALA, TEH.-SANGANER, JAIPUR.

973
B
04.2.22



ज.वि.प्रा.



AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	10915.61	54.85%
2.	RETAIL	72.00	0.36%
TOTAL = 1+2		10987.61	55.21%
3.	PARK / GREEN	1199.84	06.03%
4.	S.W.M.	50.00	0.25%
5.	MOBILE TOWER	20.02	0.10%
6.	P.U. (TOILET)	10.02	0.05%
7.	H.T. LINE	1333.32	06.70%
8.	ROAD	6299.19	31.66%
TOTAL = 3 TO 8		8912.39	44.79%
SCHEME AREA		19900.00	100.00%
		01.99 HECT.	

योजना की पूरी की चमू.र. अतिरिक्त की बा. 80 र की कार्यवाही एवं नोड पर मुनि का प्रमाणपत्र मंत्र द्वारा किया गया। योजना की पूरी मुनि प्रमाणपत्र में निहित हो चुकी है।

नाम : जयपुर विकास प्राधिकरण
उपायुक्त जेन-
जी.पी.सी / जी.एल.सी. की बैठक संख्या : विमान की अनुमतिना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम-
PROPOSED LAYOUT PLAN OF "THE RING NIKETAN" IN KHASRA NO.- 599,774/603,604,605,606,776/628 AT VILLAGE - MANOHARIYAWALA, TEH.-SANGANER, JAIPUR

जोन संख्या = 14
पैमाना :- 1:500

सहयक नगर नियोजक : जयपुर विकास प्राधिकरण
अति.सहयक नगर नियोजक : जयपुर विकास प्राधिकरण
वरिष्ठ नगर नियोजक : जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT :-
Cad Max Projects (P) Ltd.
301, Third Floor Prism Tower, Front of Police Head Quarters, Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031

नोट :-
- राजस्व ग्राम मनोहरियावाला तह.-संगानेर जिला जयपुर के कुल किता 6 हेक्टर 1.99 हैक्टर भूमि की 30-र आदेशा संख्या LU2012/JDA/2021-22/1012.93 टिनांक 2/11/2021 को की गई है जिसकी प्रति 85/सी पर संलग्न है।
- योजना की मुमि में रा.मु.रा. अधिनियम की धारा 30-र की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं उनके पर प्रमाणपत्र तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर प्लान शारबा द्वारा 91/सी के अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसर्त उपमोण व मास्टर प्लान 2025 व जेनल डवलपमेंन्ट प्लान प्लानिंग जेन-9 के अनुसार भू-उपयोग आवासीय एवं औद्योगिक व्यवसायिक दर्शित है।
- योजना का अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 311 वी बैठक टिनांक 22/12/2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार किया गया है।
- योजना में स्थित 220 केवी हाईटेशन लाइन के सेफ्टी कोरीडोर को आवेक द्वारा नो कन्स्ट्रक्शन नो कन्स्ट्रक्शन का बोर्ड लगाया जावेगा आवेक द्वारा उक्त क्षेत्र को योजना के पार्क अथवा सुविधा क्षेत्र की गणना में शामिल न करते हुये केवल योजना क्षेत्र में सम्मिलित किया जावेगा।
- योजना की आर्थिक मुमि जो कि मास्टर विकास योजना / जेनल विकास योजना में व्यवसायिक भू उपयोग में दर्शित है पर व्यवसायिक क्षेत्रों के हिसाब से शुल्क लिया जावे व मुख्य निम्न है- 43, 44, 45, 46, 47, 71, 72 व 91 कुल हेक्टरफल 900.16 वर्ग मीटर
- योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 व पैरामीटर्स जयपुरा विनियम 2020 के अनुसार ड्रेय है।
आन्तरिक विकास शुल्क की एवज में 12.50 प्रतिवार्त हेक्टरफल के निम्न मुख्य रकम रहे जाते है- 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 64 व 65 कुल हेक्टरफल 1457.01 वर्ग मीटर

AM (ZONE-14)
J.E.N (ZONE-14)
A.T.P. (ZONE-14)
D.R. (ZONE-14)
S.T.P B.P.C (L.P.)
R.C.T.P B.P.C (L.P.)

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031